न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–541 / 2026
जोकीहाट थाना कांड संख्या– 180 / 2023

मो0 हारून ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

13-05-2026 आवेदक / अभियुक्त मो0 हारून की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो जोकीहाट थाना कांड संख्या– 180 / 2023, अंतर्गत धारा– 413, 414, 34 भा0द0वि0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री काशीनाथ विश्वास एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक शैलेन्द्र कुमार, स0अ0नि0 के अनुसार यह है कि दिनांक 18.04.2023 को जब वे वाहनों की जाँच कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति वहाँ आए। पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, लेकिन उनका पीछा किया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। वाहन के कागजात माँगने पर उन्होंने बताया कि जिस बाइक का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, वह चोरी की बाइक है, जिसे उन्हें मोहम्मद हारून ने बेचने के लिए दिया था। जब्ती सूची तैयार की गई। इसी लिखित रिपोर्ट के आधार पर यह वर्तमान मामला दर्ज किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व इसके अलावे कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का एक आपराधिक इतिहास अररिया (बैरगाछी) थाना कांड सं0–368 / 23 दर्ज है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक को सह–अभियुक्त के संस्वीकृति बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। वाद में जप्त गाड़ी से आवेदक का कोई लेना–देना नहीं है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी में जिस व्यक्ति से चोरी की गाड़ी बरामद गयी थी, उन्होंने यह बताया था कि मो0 हारून ने यह गाड़ी दी है। आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है, जो समान प्रकृति के अपराध से संबंधित है। केस डायरी के सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।